बिहार विधान सभा वाद-वृत्त

सोमवार, तिथि ११ सितम्बर १९५०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण

सभा का अधिवेशन रांची के सभा वेश्म में सोमवार तिथि ११ सितम्बर, १९५० को २ बजे मध्याह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

Starred Question and Answers

दरभंगा जिला में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सड़कों की मरम्मती की आवश्यकता।

(a) *७५। *श्री सुन्दर महतो पासी*:—क्या माननीय मंत्री, स्थानीय स्वायत शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सन १९४८, १९४९ और १९५० में कितना-कितना रुपया किस-किस काम के लिये दिया गया,

(ख) क्या यह बात सही है कि इस जिला की सड़कें इस तरह खराब हो गई हैं कि आदमी तथा सवारी को चलने में काफी कठिनाई होती है, यदि 'हां' तो इसके प्रतिकार के लिये सरकार क्या कर रही है?

माननीय पण्डित विनोदानन्द झा:— (क) विवरण मेज पर रख दिया गया है।

(ख) हां। जिलामें बाढ़ आने से सड़कें डूब जाता हैं। सरकार ने इन सड़कों को पहले जैसी हालत में लाने के लिये १४ लाख ८० हजार रुपया दिया है और उसके एलावे ५ लाख रुपया और दिया है इस तरह २१ लाख रुपया इसकाम में खर्च किया जायगा।

श्री जयनारायण विनीत:—क्या १९४८, १९४९, १९५० में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिये गये रुपयों का टोटल नहीं बताया जा सकता है?

माननीय पण्डित विनोदानन्द झा:— इतना बड़ा एस्टेटमेंट है जिसका विवरण चार पेज में है। मैंने २ रुपये से लेकर २ लाख तक का ब्योरा दे दिया है।

माननीय अध्यक्ष:— ऐसे प्रश्न तो वास्तव में अतारांकित हैं। इसलिये इन पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।

पंडित धनराज शर्मा:—क्या सरकार को मालूम है कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कोयला न मिलने के कारण ईंट नहीं पका सका जिससे ठीकेदारों को ईंटा नहीं मिल सका और पक्की सड़कों की मरम्मत नहीं हो सकी।

माननीय डा० सैयद महमूद :— मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष :— विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

बिहार लेजिस्लेचर (प्रोहीबिशन आफ साइमल टेनीअसमेम्बरशीप) बिल, १९५०
(१९५० की विधेयक संख्या २८)

The Bihar Legistative (Prohibition of simultaneous Membership) Bill, 1950. (Bill no. 28 of 1950)

माननीय श्री कृष्णबल्लभ सहाय :— मैं प्रस्ताव करता हूँ कि —

The Bihar Legislature (Prohibition of simultaneous membership) Bill, 1950, को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

माननीय अध्यक्ष :— प्रश्न यह है कि –

The Bihar Legislature (Prohibition of simultaneous membership (Bill, 1950. को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय श्री कृष्णबल्लभ सहायः— मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष :— विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

बिहार स्टेट एड टू इन्डस्ट्रीज (अमेन्डमेन्ड) बिल १९५०
(१९५० का विधेयक संख्या ३०)

The Bihar State Aid to Industries (Amendment) Bill, 1950
(Bill no. 30 of 1950)

माननीय डा० सैयद महमूद :— मैं प्रस्ताव करता हूँ कि —

The Bihar State Aid to Industries (Amendment) Bill 1950, को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

माननीय अध्यक्ष :— प्रश्न यह है कि —

The Bihar State Aid to Industries (Amendment) Bill, 1950,, को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सैयद महमूद :— इस विधेयक को मैं पुरःस्थापित करता हूँ।

Shri Rameshwar Prasad Singh :— Sir, to day I find that not only one bill but several bills have come up for leave for introduction. Even for the sake of introduction the rule is that 15 days notice should be given to us. Secondly if 15 days time is not given then the bill should be published in the gazette. I shall draw the attention of the chair to these two alternatives one of the two conditions must be fulfilled and if I am satisfied that 15 days notice was given or 24 hours notice was given in the case of publication then. I sit down.

The Hon'ble the Speaker :— My Secretary informs me that in each case 15 days notice was given.

Shri Rameshwar Prasad Singh (Gaya) :— Sir, permit me to tell you very frankly that I received the notice, but not the bill.

माननीय अध्यक्ष — यह तो आपको वितरण मेज (Distribution table) पर मिल जाना चाहिये। चूंकि इसपर आज वहस नहीं होगी इसलिये आपको इससे कोई असुविधा नहीं होती है।

माननीय अध्यक्ष — विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

विहार टेनेन्सी (अमेन्डमेन्ट) बिल १९५०

(१९५० का विधेयक संख्या २७)

The Bihar tenancy (Amendment) Bill, 1950 (Bill no 2 of 1950)

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय —मैं प्रस्ताव करता हूँ कि the Bihar Tenancy (Amendment) Bill, 1950, को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

माननीय अध्य:— प्रश्न यह है कि:—

'The Bihar tenancy (Amendment) Bill, 1950 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय:— मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष:— विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

विहार हिन्दू रिलिजस ट्रस्ट बिल, १९५०

(१९५० का विधेयक सख्या १०)

The Bihar Hindu Religious trusts Bill 1950, Bill no 10 of 1950

माननीय डा० सैयद महमूद:—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विहार विधान-परिषद् द्वारा The Bihar Hindu Religious trust Bill, 1950, में किये गये संशोधनों पर विचार हो।

माननीय अध्यक्ष :— प्रश्न यह है कि—

विहार विधान परिषद् द्वारा The Bihar Hindu Religious trust Bill, 1950, में किये गये संशोधनों पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री महेश प्रसाद सिंह — महोदय, जो एमेन्डमेन्ट कौनसील में हुआ उसकी प्रति आज हमलोगों को डीस्ट्रीबुशन टेबुल पर मिली है। हम लोगों के

माननीय सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।